न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना–पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
04 / 24	136 LR Act	सीमली	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
धनकुँवर	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :– श्री बृजराज किशोर शर्मा **आदेश पत्रक** वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
14.02.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.03.2024 को पेश हो।	
26-3-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप0। जवाब पैरोकार सरकार पेश नहीं हुआ समय चाहते ही पत्रावली वास्ते जवाब। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 1-5-24 को पेश हो।	
1-5-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप0। पैरोकार सरकार जवाब हेतु समय चाहते ही पत्रावली वास्ते जवाब। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 11-6-24 को पेश हो।	
11-6-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 1-8-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
30-12-24	पत्रावली आज मेरे समक्ष पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप0। तहसीलदार बारां से जवाब/रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब/रिपोर्ट दिनांक 3-2-25 को पेश हो।	
3-2-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 26-3-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
26-3-25	पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 30-5-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
20/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उप० तहसीलदार बारां के रिपोर्ट प्राप्त। शा०व० सुनी तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० पत्रावली किया गया। जारी निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बारां को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील अभिलेख में दाखिल हो। निर्णय सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी बाराँ

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 04/24
दायरा दिनांक :– 14.02.2024
निर्णय दिनांक :– 30/5/2025

उनवान

1. धनकुॅवर उर्फ रामदुलारी आयु 47 वर्ष पत्नि श्री शिशुपाल जाति मीणा निवासी ग्राम खढीला खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रार्थीया–

बनाम

2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक :– 30/5/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा एडवोकेट – प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम सीमली पटवार हल्का सीमली तहसील बारां जिला बारां में आराजी खाता संख्या 59 व खाता संख्या 159 स्थित है जिसमें प्रार्थीया सह–खातेदार है तथा उक्त आराजियात प्रार्थीया का उसके पिता बुचीलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीया के 2 नाम है रामदुलारी एवं धनकुवंर है तथा प्रार्थीया की शादी हो चुकी है और उसके ससुराल में उसके नाम समस्त दस्तावेज राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, में प्रार्थीया का नाम धनकवंर अंकित है किन्तु उसके पिता की मृत्युपरान्त उक्त राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 59 व 159 में हल्का पटवारी द्वारा उसका नाम रामदुलारी पुत्री बुचीलाल अंकित कर दिया है। जिसकी वजह से प्रार्थीया को अपने कृषि ऋण एवं बैंक आदि में ऋण आदि प्राप्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है उक्त नाम त्रुटिवश अंकित हुआ है जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर रामदुलारी के स्थान पर धनकुंवर अंकित कराना चाहती है। जिसे वह दुरूस्त कराने की कानूनन अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त दोनो खातो में प्रार्थीया का नाम रामदुलारी के स्थान पर धनकुंवर अंकित करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सीमली सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 59 पुराना 57, नकल जमाबन्दी ग्राम सीमली सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 159 पुराना 154, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि ग्राम सीमली पटवार हल्का सीमली तहसील बारां जिला बारां में आराजी खाता संख्या 59 व खाता संख्या 159 स्थित है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

र्थीया सह–खातेदार है तथा उक्त आराजियात प्रार्थीया का उसके पिता बुचीलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीया के 2 नाम है रामदुलारी एवं धनकवंर है तथा प्रार्थीया की शादी हो चुकी है और उसके ससुराल में उसके नाम समस्त दस्तावेज राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, में प्रार्थीया का नाम धनकवंर अंकित है किन्तु उसके पिता की मृत्युपरान्त उक्त राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 59 व 159 में हल्का पटवारी द्वारा उसका नाम रामदुलारी पुत्री बुचीलाल अंकित कर दिया है। जिसकी वजह से प्रार्थीया को अपने कृषि ऋण एवं बैंक आदि में ऋण आदि प्राप्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है उक्त नाम त्रुटिवश अंकित हुआ है जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर रामदुलारी के स्थान पर धनकंवर अंकित कराना चाहती है। जिसे वह दुरूस्त कराने की कानूनन अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त दोनो खातो में प्रार्थीया का नाम रामदुलारी के स्थान पर धनकंवर अंकित करने के आदेश प्रदान करें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल ग्राम सीमली के खाता संख्या 59 खसरा नं0 588 रकबा 0.16 हे0, व खसरा नं0 9 रकबा 1.65 हे0, पर खातेदार रामदुलारी पुत्री बुचीलाल हिस्सा 1/25 एवं खाता संख्या 159 कुल किता 10 कुल रकबा 3.17 हे0 भूमि पर खातेदार रामदुलारी पुत्री बुचीलाल हिस्सा 1/5 का राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आदि दस्तावेजों में प्रार्थी वादी का नाम धनकंवर दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी वादी का नाम रामदुलारी पुत्री बुचीलाल दर्ज है। प्रार्थीया की शादी ग्राम खडीला खुरी तहसील अटरू में होना ग्रामवासियों व सहखातेदारान द्वारा बताया गया। ग्रामवासियों व सहखातेदारान द्वारा बताया गया कि रामदुलारी व धनकंवर दोनो एक ही महिला के नाम है। वादिनि धनकंवर को ग्राम सीमली में शादी से पूर्व रामदुलारी के नाम से पुकारते थें वादिनि के नाम आईसी आईसी आईसी बैंक का रहन शाखा बारां रामदुलारी के नाम प्राप्त हुआ है। प्रार्थीया का नाम रामदुलारी के स्थान पर रामदुलारी उर्फ धनकंवर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम सीमली की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 59, पुराना खाता संख्या 57, व खाता संख्या नया 159, पुराना खाता संख्या 154, ग्राम सीमली तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थीया का नाम रामदुलारी के स्थान पर रामदुलारी उर्फ धनकंवर दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड़ अधिकारी बारां